



Neutral Citation No. - 2026:AHC-

LKO:40834

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4054/2026

अरुण

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- अखिल कुमार सिंह, ज्ञानेन्द्र प्रताप यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 65/2023, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20/29, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अयोध्या के अंतर्गत, आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति हैं तथा वह दिनांक 5.3.2026 से कारागार में निरुद्ध हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में आवेदक को तीन अन्य मामलों में भी अभियुक्त बनाया गया था, जिनमें से दो मामलों में वह जमानत पर हैं तथा एक मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के कब्जे से कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई है तथा आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त दानिश एवं अवधराम ध्रुव को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 9019/2023 तथा 293/2025 में पारित आदेश दिनांक 5.9.2024 एवं 16.01.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। (आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त जमानत आदेशों को अभिलेख पर लिया जाता है।) इन परिस्थितियों में आवेदक भी जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि सह-अभियुक्त दानिश एवं अवधराम ध्रुव को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा आवेदक की संलिप्तता इकबालिया कथन में पाई गई है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, सह-अभियुक्त दानिश एवं

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अवधराम ध्रुव को प्रदान की गई जमानत के आदेशों, समानता के आधार तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं इस मत पर हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

6. उपरोक्त मुकदमा अपराध में आवेदक-**अरुण**- को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह उक्त तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि को आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामला प्रारंभ किए जाने, (2) आरोप विरचित किए जाने एवं (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति साशय या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 10, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।